

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी: प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023)


प्रकरण सं.:— 165/2023
दिनांक:—

मांक:—प्र.गां.सं.—23/2023/ 361

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जूना मीठा खेड़ा व भू.अ.नि.सिणधरी रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोलिया भाटा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की बन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 52 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:—

ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
गोलिया भाटा	52	283	बुदाराम पुत्र नवाराम	बुदाराम पुत्र नवाराम


(रामसिंह गुर्जर)


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:— 31-07-2023

—प्र.गां.सं.—23/2023/ 362-64

पे:—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी श्री बुदाराम पुत्र नवाराम तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी